

विचार बिन्दु

जो आदमी नशे में मदहोश हो उसकी सूरत उसकी माँ को भी बुरी लगती है। -तिरुवल्लुवर

सदनों की गरिमा बनाए रखने का दायित्व सांसदों और आसन, दोनों का है

लो

कसमा एवं राज्यसभा संसद के दो सदन हैं, जहाँ पूरे देश से संबंधित विभिन्न विषयों पर न केवल चर्चा होती है अपितु आवश्यकता अनुसार कानून भी बनाए जाते हैं। गत कुछ वर्षों से यह अनुभव किया जा रहा है कि इन सदनों का महत्व कम किया गया है। कई बार अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर कानून, बिना किसी चर्चा के, शोर शराबे के बीच पारित कर दिए गए इस कारण, जिस प्रकार की विस्तृत चर्चा सांसदों द्वारा की जानी चाहिए, वह नहीं हो पाई। यह स्थिति, संविधान के अनुच्छेद 107 की भावना के विपरीत है, जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि कोई भी कानून तब ही पारित होगा, जब सदन की उस पर सहमति हो। सहमति का अर्थ यही है कि विधेयक, सदस्यों को समय पर प्राप्त हो ताकि वे उसका अध्ययन कर सकें एवं चर्चा में भाग ले सकें। लोकसभा में किसानों से संबंधित तीन कानून शोर शराबे में बिना चर्चा के पारित कर दिए गए थे। बिना चर्चा के कानून पारित करने का परिणाम यह हुआ कि उठा किसान आंदोलन हुआ जो लंबा चला एवं सरकार के पूरे दमन के बावजूद इन तीनों कानूनों को सरकार को पुनः वापस लेना पड़ा। इस अटकली स्थिति से बचा जा सकता था, यदि विधेयक के सदस्यों द्वारा भी इन कानूनों के गुणअवगुण पर गहन चर्चा होती एवं इनके संचालित प्रभाव का समुचित आकलन करने का अवसर मिलता।

उल्लेखनीय है कि लोकसभा के अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति, दोनों से यह अपेक्षा होती है कि वे पूर्णतया निष्पक्षता के साथ कार्य करेंगे एवं सत्ता पक्ष के साथ ही, विपक्ष के सांसदों को भी अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर देंगे। उन्हें विभिन्न प्रकार के विषय उठाने और उन पर चर्चा करने का अवसर भी प्रदान करेंगे। आसन का काम यह देखने का कर्तव्य नहीं है कि सदस्य अपने भाषण में क्या कहते हैं। उनका काम केवल यह सुनिश्चित करना है कि भाषा की मर्यादा बनी रहे। प्रतिपक्ष के सांसद, सरकार की कितनी भी कड़ी आलोचना क्यों न करें, आसन को उसके विचलित नहीं होना चाहिए और न ऐसा करने पर उन्हें रोका जाना चाहिए। यह सही है कि लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति (उपराष्ट्रपति ही, राज्यसभा के सभापति होते हैं), चुने जाने से पूर्व सामान्यतया, सत्ताधारी राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं, किंतु एक बार जब वे इस आसन पर चुन लिए जाते हैं तो उनकी भूमिका एक निष्पक्ष व्यक्ति की हो जाती है। लोकसभा और राज्यसभा में अध्यक्ष और सभापति का आसन भी न्यायाधीशों की तरह ही बहुत ऊंचा होता है। उनसे यह अपेक्षा होती है वह कम से कम बोलें और अधिकतर समय विभिन्न दलों के सदस्यों को किसी भी विषय पर बोलने के लिए अवसर प्रदान करें। ऐसा करते समय उन्हें सत्ताधारी दल के साथ किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करना चाहिए और स्वयं की विचारधारा के आधार पर सदस्यों के प्रति व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनका कार्य सभी सदस्यों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, समान रूप से करने का है।

2014 से 2019, विशेषकर 2019 के चुनाव के बाद दोनों सदनों में भाजपा का अच्छा खासा बहुमत रहा। इसलिए आसन के पक्षपात पूर्ण निर्णय के विरुद्ध विपक्षी दल कोई मजबूत आवाज नहीं उठा पाए थे। जब भी उन्होंने आवाज उठाई, आसन ने संबंधित सांसदों को सत्ताधारी दल से प्रस्ताव आमंत्रित कर निलंबित कर दिया। स्थिति यह तक हो गई कि लोकसभा में एक समय 146 सांसद निलंबित थे। इन्होंने के निलंबित रहते हुए, सरकार ने कई विधायी कार्य भी निपटा दिए और नए कानून भी बना लिए। आसन का यह व्यवहार, लोकतंत्र की भावना के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। कार्य और व्यवहार, दोनों की दृष्टि से आसन पर बैठे इन दोनों व्यक्तियों ने स्वयं को निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं निर्भीक सिद्ध नहीं किया है। कई बार यह देखा गया कि विपक्ष द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की मांग करने पर उन्हें आसन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। यह शायद इसलिए किया जाता है कि सत्ताधारी दल ऐसा नहीं चाहता।

अब, 2024 में चुनाव के बाद स्थिति वैसी एक तरफ नहीं रही है। भाजपा द्वारा तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल (यू) एवं अन्य छोटी पार्टियों के सहयोग से एनडीए की सरकार चलाई जा रही है। भाजपा के लोकसभा में 240 सदस्य हैं जो बहुमत से 32 कम हैं। विपक्ष, संख्या बल में मजबूत हुआ है और उसने आक्रमक रवैया भी अपनाया है। ऐसे दृश्य संसद में देखे गए जब आसन की, विपक्षी सांसदों,

संसद की गरिमा बचाए रखने का दायित्व केवल प्रतिपक्ष के सदस्यों पर ही नहीं है अपितु सत्ता और प्रतिपक्ष, दोनों पर है, और इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आसन की है। इन्हें अपनी पुरानी दलीय संबद्धता से ऊपर उठकर, स्वतंत्र और निर्भीक रूप से सदनों को संचालित करना होगा ताकि सदन की गरिमा बनी रह सके।

मर्यादा के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार, सत्ताधारी पक्ष के समर्थन में आसन की अभिव्यक्ति, उनके निष्पक्ष होने पर संदेह उत्पन्न करती है।

जिन प्रकार मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी सदस्य और राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता पर केवल उनके नाम के आधार पर वंशवाद का आरोप लगा दिया, वह कर्तव्य मर्यादा पूर्ण नहीं था। इसका विरोध करने पर उन्हें बोलने तक नहीं दिया गया एवं उन्हें एक प्रकार से डांट-डपट कर बिठा दिया गया। विपक्षी सांसद, चाहें वे कांग्रेस के हों, समानवादी पार्टी के, तुणमूल कांग्रेस के अथवा आम आदमी पार्टी के, सभी के प्रति आसन का व्यवहार एवं आचरण कर्तव्य निष्पक्ष नहीं दिखाई देता।

हाल ही में जया बच्चन, जो कि राज्यसभा की पुरानी वरिष्ठ सदस्य हैं, को संबोधित करते हुए राज्यसभा के सभापति ने यहां तक कह दिया वे कलाकार हैं और कलाकार को डायरेक्टर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है। क्या वे यह कहना चाहें कि सदन के सदस्यों को डायरेक्टर करने का काम सभापति का है? ऐसा करके उन्होंने सदस्यों के सम्मान को कम ही किया है। राज्यसभा के सभापति द्वारा कई बार लंबे-लंबे भाषण दिए गए हैं। इन भाषणों में सामान्यतया विपक्षी दलों और कुछ नेताओं की कड़ी आलोचना की जाती है एवं ऐसा बताने का प्रयास किया जाता है जैसे सदन में गतिरोध केवल विपक्षी सदस्यों द्वारा ही उत्पन्न किया जा जाता है। संसदीय नियम, प्रक्रियाएं सब पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हीं नियम प्रक्रियाओं का अर्थ, सत्ताधारी दल और विपक्षी सांसदों के संदर्भ में अलग अलग निकाला जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे विपक्षी दलों के भाषणों में कहीं गई हट बात को सत्यापित करने के लिए आसन द्वारा कहा जाता है, जबकि सत्ताधारी दल के सांसदों के साथ ऐसा व्यवहार अधिकांशतया नहीं होता है। नियमानुसार सत्यापन दस्तावेज को सत्यापित करने की आवश्यकता है, जिसे सदन के पटल पर किसी सदस्य द्वारा अपने भाषण के दौरान रखा जाये।

सदन की कार्यवाही आजकल संसद टी वी के माध्यम से सीधी प्रसारित की जाती है। देश के सभी नागरिकों को सदन में क्या हो रहा है यह सीधे देखने का अवसर मिलता है। विपक्षी दलों के इस आरोप में सच्चाई है कि जब भी विपक्षी दल किसी भी विषय पर अपना विरोध कर रहे होते हैं अथवा कोई नारेबाजी कर रहे होते हैं, तो विपक्षी दलों की ओर कैमरा नहीं होता एवं केवल सत्ताधारी दल के सदस्यों को ही दिखाया जाता है। यह भी एक प्रकार से पक्षपात पूर्ण कार्यवाही ही है। सीधे प्रसारण का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है जब कार्रवाई एक तरफ दिखाई जाये। सदस्यों के भाषण के अंश, कई बार आसन द्वारा कार्यवाही से हटा दिए जाते हैं। ऐसा करते समय भी आसन द्वारा सत्ताधारी दल के सांसदों के भाषण के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया जाता है और विपक्षी दलों के भाषणों, विशेषकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण के अधिकांश अंशों को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया।

राज्यसभा के सभापति द्वारा बार बार यह कहना कि "nothing will go on record" अजीब लगता है। सदन की कार्यवाही के संचालन की जिम्मेदारी अध्यक्ष अथवा सभापति की होती है, जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती। विपक्षी दलों के पास केवल एक ही विकल्प बचता है कि वे कार्यवाही का बहिष्कार करें और वह ऐसा करते भी हैं, किंतु ऐसा कदम उठाने से संवाद और बहस की संभावना पूरी तरह समाप्त हो जाती है। अभी हाल ही में राज्यसभा में जब विपक्ष के सांसद, आसन के व्यवहार के प्रति अपनी आपत्ति दर्ज करते हुए वाक आउट कर गए, तो उसके बाद राज्यसभा के सभापति ने, सत्ताधारी दल के प्रस्ताव पर विपक्षी दलों के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया।

विपक्षी दलों के नेताओं, विशेषकर प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बोलते समय उनका माइक बंद करने की बात कई बार उठाई। टीवी पर जो लोग इसका प्रसारण देख रहे होते हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से लगता है कि माइक को तब बंद कर दिया जाता है जब वह सरकार के विरुद्ध कोई ऐसी बात कर रहे हैं, जिससे सरकार असहज महसूस करे। आपत्ति करने पर अध्यक्ष और सभापति का केवल एक ही कदम होता है कि माइक उनके द्वारा बंद नहीं किया जा सकता। ऐसा कहकर, वे अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते क्योंकि सदन की पूरी कार्यवाही को सुचारु रूप से संचालित करने का दायित्व उन्हीं पर है। उनके सचिवालय का पूरा स्टाफ भी उन्हीं के अधीन होता है। यदि किसी ने उनके निर्देशानुसार कार्य नहीं किया तो फिर उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की गई? सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि विपक्षी दलों को महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जाती।

उदाहरण के लिए, विनेश फोगट को ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया, तो जिन परिस्थितियों में ऐसा किया गया, उस पर चर्चा हेतु स्थगन प्रस्ताव विपक्षी सांसदों द्वारा दिया गया, किंतु उसे स्वीकार नहीं किया गया। कुल मिलाकर, लगता यही है कि संख्या बल बढ़ने के बावजूद विपक्षी दल कुछ करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं और उनकी आवाज को दबाने में सत्ताधारी दल का साथ, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आसन के द्वारा दिया जा रहा है। इसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ही कहा जा सकता है। आशा यही है कि किसी दिन आसन पर बैठे अध्यक्ष और सभापति को अंतरात्मा जागे और उन्हें यह एहसास हो कि उनकी जिम्मेदारी विपक्ष के अधिकारों की रक्षा करने की भी उतनी ही है, जितनी सत्तापक्ष के अधिकारों की। यदि ऐसा नहीं हो पाया तो यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत अर्थात् संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसा ही होगा। संसद की गरिमा बचाए रखने का दायित्व केवल प्रतिपक्ष के सदस्यों पर ही नहीं है अपितु सत्ता और प्रतिपक्ष, दोनों पर है और इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आसन की है। इन्हें अपनी पुरानी दलीय संबद्धता से ऊपर उठकर, स्वतंत्र और निर्भीक रूप से सदनों को संचालित करना होगा ताकि सदन की गरिमा बनी रह सके।



महावीर सिंह

आजकल समाचारों में व सामान्य रूप से कुछ वर्गों के लोगों में लव जिहाद पर चर्चा-बहस सुनने को मिलती है। मुख्यतः पॉलिटिशियन कहलाए जाने वाले जीवों में इसके पक्ष व विपक्ष में भयंकर जिद्दोहजद सुनने को मिलती है। ऐसी तुमुल बहसों को 24 घण्टे चलने वाली टीवी चैनल्स पर सुनाई पड़ती है मारो कि संसार का सबसे प्रमुख चिंता का विषय यही होना चाहिए। लव का सामान्य समझ वाला अर्थ है प्रेम। सभी प्रमुख धर्मों का यह सर्वोत्तम उद्देश्य यही है जिस में मनुष्यों को प्रेम व सद्भाव से रहने का आह्वान किया जाता है।

प्रेम एक अहसास को ही दिल् से वास्ता रखता है। हम माता, पिता, भाई, बहन, पत्नी, बेटा, बेटी, परिवार जनों को प्रेम करते हैं उसमें दिमाग से निर्णय की जरूरत नहीं। हमे हमारे साथ, आसपास रहने वाले पशु-पक्षियों से भी प्रेम हो जाता है। इन सब में हानि, लाभ, निन्दा, डर आदि की कोई जगह नहीं। यह सब दिमाग का कार्य क्षेत्र है। प्रेम के अहसास में इनका स्थान ही नहीं, यह दिल का कार्य क्षेत्र है। कुछ समय पूर्व तक और कहीं-

कहीं अब भी, अंतरजातीय विवाहों भारी बवाल होता है। कई हिंसक घटनाएं हुई हैं और कुछ प्रेमी जोड़ों को मौत के घाट उतार दिया गया, गांव बदर कर दिया गया, जाती से-समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। इस प्रकार की सारी घटनाएं परिभाषित अपराध है। इस प्रकार की अधिकतर घटनाएं हिन्दू समाज में होती हैं, इसलिए इन्हें कोई जिहाद जैसे विशेषण से नहीं बताया जाता।

विवाह क्या है, कैसे सम्पन्न होते हैं? विवाह का निर्णय सामान्य रूप से माता-पिता व नजदीकी परिवार जनों द्वारा लिया जाता है। अब इसमें अधिकतर मामलों में लड़के और लड़की भी एक दूसरे से मिलायी जाता है और उनकी सहमति भी ली जाती है। यह सब शिक्षा से हुई जागृति के कारण हुआ है। रोजगार के प्रकार, स्थान, वेतन, आय आदि भी विवाह के निर्णय से पूर्व अहम हो गए हैं। इसमें प्रेम के अहसास की एंटी शैली के बाद होती है।

एक अन्य प्रकार है प्रेम विवाह। शादी पूर्व लड़के-लड़की की विभिन्न कार्यों से यथा एक जैसी शैक्षणिक योग्यता, जांब, एक स्थान पर रहवास, मित्रता, आकर्षण आदि के चलते स्वयं ही शादी फैसला कर लेते हैं। इसका ज्यादा प्रचलन वाला नाम है, लव मैरिज। लव मैरिज वाले जोड़े एक जाति अथवा भिन्न-भिन्न जातियों वाले व भिन्न-भिन्न धर्मों में आस्था रखने वाले हो सकते हैं। अधिकांशतः, एक जाति अथवा भिन्न जातियों वाले जोड़ों के मामलों में उनके परिवार, रिश्तेदार, समाज प्रारंभिक हिचक के बाद स्वीकृति देता है। जहां स्वीकृति नहीं मिलती वहां कोर्ट मैरिज, आर्य समाज की विधि के अनुसार या किसी मंदिर के पुजारी के समक्ष शादी की विधिक

औपचारिकताएं पूरी कर लेते हैं। कहीं-कहीं, ऐसे मामलों में पुलिस प्रोटेक्शन की आवश्यकता भी पड़ती है। असली झगड़ा भिन्न धर्मों में आस्था रखने वाले जोड़ों की शादियों में उत्पन्न होता है। यदि शादी हिन्दू-सिख, जैन-बौद्ध-पारसी-ईसाई धर्म में आस्था रखने वाले जोड़ों की हो तो कोई ज्यादा बवाल नहीं मचता। यदि शादी के जोड़े में लड़की मुस्लिम हो, लड़का हिन्दू-जैन आदि आस्था वाले हों तो भी, समाज के स्वयंभू ठेकेदारों की ओर से कोई बड़े पैमाने पर तीखी बयान बाजी, खुले आम उनको अपमानित करने की घटनाएं अपवाद स्वरूप ही सुनी जाती हैं।

यदि लड़की हिन्दू माता-पिता की संतान हो और बड़े धनाढ्य, समाज में किसी बड़ी प्रकार की हैसियत रखने वाले हो जैसे बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति, सेलेब्रिटी, बड़ा राजनेता आदि और लड़का मुस्लिम हो तो भी, समाज का ठेकेदार बानेर विभिन्न नामों से घूमने वाली ब्रिगेड्स द्वारा कोई विशेष बयानबाजी, तोड़फोड़ नहीं होती। किन्तु इसके विपरीत, यदि लड़की हिन्दू संस्कारों में आस्था रखने वाली, गरीब या अल्प आय वर्ग परिवार से हो और लड़का मुस्लिम हो तो धर्म के ठेकेदार, समाज के पंच पटेल लड़की और उसके परिवार वालों का गांव, मोहल्ले में विभिन्न प्रकार की उलूल जुलुल कार्यवाहियों, सार्वजनिक प्रताड़नाओं से जीना हराम कर देते हैं। ताने, बयान बाजी से आगे उन्हें आर्थिक दण्ड या समाज बहिष्कार का दंड फरमान भी सुना दिया जाता है।

सामान्य निष्कर्ष यह है कि अंतर धार्मिक विवाहों पर अमीर, हैसियत वालों को कोई समाजिक बहिष्कार का व अन्य सामाजिक दण्डों का सामना

नहीं करना पड़ता। यह सब गरीब व निम्न व मध्यम आय के परिवारों या अति रूढ़िवादी समाज के लोगों के लिए ही है।

किन्तु अंतर धार्मिक विवाहों के कुछ डरावने पक्ष भी हैं। कई बार यह सुनने में आता है की मुस्लिम लड़के ने अपनी सही पहचान गलत इरादों से छुपाई यथा अपना धर्म, जाती, निवास स्थान, रोजगार आदि छुपाया और किसी मंदिर में शादी कर ली या कोर्ट में शादी कर ली। इस प्रकार के सारे परिवर्तन के लिए बाध्य करने के प्रयास होते हैं और यह भी अपराध है। आइए अब इस विचार करें कि जिहाद क्या है और लव जिहाद क्या है? जिहाद एक अरबी शब्द है जिसका सामान्य अर्थ है- किसी अच्छे, प्रशंसनीय कार्य के लिए किए गए प्रयास। इस्लाम में इसका एक अर्थ यह भी होता है कि किसी धार्मिक कार्य के लिए संघर्ष भी है। एक अन्य अर्थ यह भी-आध्यात्मिकता के लिए व्यक्तिगत जिद्दोजिहाद। आत्मरक्षा के लिए सामूहिक संघर्ष। इन सब व्याख्याओं में मुस्लिम, हिन्दू लड़के-लड़कियों प्रेम, विवाह पर बंदिस को कहीं कोई बात नहीं।

लेकिन कुछ व्याख्याकार धार्मिक ग्रंथों का हवाला देकर, इसका यह भी अर्थ निकालते हैं-काफिरों के खिलाफ धर्म रक्षा के लिए पवित्र युद्ध। इस्लाम के अनुयायियों के संरक्षण, व प्रसार के लिए युद्ध। यह सब आध्यात्मिक धर्म से अलग इस्लाम के नाम पर लोगों के राजनीतिक, प्रभुत्व स्थापित करने वाले औजार है।

-महावीर सिंह, पूर्व आईएफ एस

कब्स बुलबुल हीरक पंख एवं स्वर्ण तीर बैज प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन



उद्घाटन समारोह में अतिथियों का स्वागत किया गया।

जयपुर। केन्द्रीय विद्यालय संगठन राज्य भरत स्काउट्स एवं गाइड्स, जयपुर मंडल के तत्वाधान में पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 07 जयपुर में सोमवार को त्रिदिवसीय कब्स एवं बुलबुल हेतु चतुर्थ चरण हीरक पंख एवं स्वर्ण तीर बैज प्रशिक्षण शिविर 2024 का प्रारंभ हुआ। राज्य स्तरीय इस आयोजन में केन्द्रीय विद्यालय संगठन, संभागीय कार्यालय-जयपुर के अधीन 21 केन्द्रीय विद्यालयों के 302 नवें मुने कब्स एवं बुलबुल ने प्रतिभागिता हेतु उपस्थिति दर्ज की। रविवार सांयकाल से ही अपने अनुभूतिक शिक्षकों के साथ राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में आये इन नवें कब्स एवं बुलबुल का स्वागत इंद्रदेव ने रिमझिम फुहारों से किया। सोमवार प्रातःकाल उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉ. पंकज कुमार, कमान्डेंट, 8वीं आरक्षित वाहिनी, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जयपुर के विद्यालय आगमन पर पाट्टमरिक्त तरीके से साफा एवं माल्यार्पण स्वागत किया।

विद्यालय के कब्स एवं बुलबुल द्वारा चकरी स्वागत एवं बुलबुल स्वागत ने उपस्थितजन के हृदय को विभोर कर दिया। प्राचार्य डॉक्टर दर्शन लाल मीना की अगुआई में मुख्य अतिथि ने मॉ सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर आशीर्षक लिया तत्पश्चात लाई एवं लेडी बेडेन पावेल के आग्रह पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ हुआ। पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 07 के विद्यार्थियों

द्वारा स्वागत गीत झूम झूम हर कली बार बार कह चली के साथ आगंतुकों का स्वागत किया गया। वहीं दूसरी ओर राजस्थानी नृत्य- माथे साजे बोरलो पाग में पायल बाजणी ने उपस्थित जनमानस का हृदय मोह लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. पंकज कुमार ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम से विद्यार्थी नैतिक, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनेंगे। स्तर दर स्तर आत्मनिर्भरता, टीमवर्क, और सेवा भाव के गुणों के विकास को नीव इन्हीं कार्यक्रमों से विकसित होनी तय है। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दर्शन लाल मीना के अनुसार स्काउटिंग का

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक सात में त्रिदिवसीय शिविर शुरु

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय के स्काउट कवार्टर मास्टर कमल मीना, कब्स प्रभारी विनोद नामा बुलबुल प्रभारी स्वामी गोपाना, स्काउट प्रभारी सुल्तान मीना गाइड प्रभारी मंजु मीना एवं सपना गुप्ता अनुशासना मीना मोनिका वामा जालिम सिंह मीना नीरू चड्ढा एवं साधना चौबे ने त्रिदिवसीय कार्यक्रम हेतु अपने प्रभारों हेतु की गई तैयारियों की जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम के अंत में श्री नारायण मीना द्वारा उद्घाटन कार्यक्रम की सफलता सिद्धि में जुटे सम्पन्न शिक्षकगण एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम का सफलता संचालन राजेश रॉय सातानी व्याख्याता हिंदी एवं अंजु चौधरी अंग्रेजी द्वारा किया गया। प्राचार्य डॉक्टर दर्शन लाल मीना द्वारा डॉ. पंकज कुमार, कमान्डेंट 8वीं आरक्षित वाहिनी, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जयपुर का स्वागत। प्राचार्य डॉक्टर दर्शन लाल मीना एवं मुख्य अतिथि डॉ. पंकज कुमार, कमान्डेंट 8वीं आरक्षित वाहिनी, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जयपुर ने चयनकर्ताओं, प्रशिक्षकों के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज की।

राशिफल मंगलवार 13 अगस्त, 2024



पंडित अनिल शर्मा

सावन मास, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2081, विशाखा नक्षत्र दिन 10:44 तक, ब्रह्म योग सांय 4:33 तक, बव करण प्रातः 9:32 तक, चन्द्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-वृष, बुध-सिंह, गुरु-वृष, शुक्र-सिंह, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज रविवोग दिन 10:44 से आरम्भ होगा। आज दुर्गाष्टमी, भौमाष्टमी, मंगला गौरि पूजा और मेला नयना देवी और चित्तपूर्णी है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:16 से 10:54 तक, लाभ-अमृत 10:54 से 2:09 तक, शुभ 3:47 से 5:24 तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 6:01, सूर्यास्त 7:02

मेघ चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। वनत्रे कार्य विगड़ सकते हैं। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

सिंह घर-परिवार के कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। नौकरोंपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है।

धनु अनर्गल कार्यों में समय खराब होगा। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। परिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा।

वृष परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या आर्थिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित यात्रा संभव है। घर-परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मकर आर्थिक/वित्तिय मामलों में लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटक हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियाव्ययन प्राप्त होगा।

मिथुन विवाहित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। स्वास्थ संबंधित चिन्ता दूर होगी। व्यावसायिक/आर्थिक मामलों में लाभवाही ठीक नहीं रहेगी।

तुला व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। संचालित श्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आय में वृद्धि होगी। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कर्क व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। अटक हुआ धन प्राप्त होगा।

वृश्चिक मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक कार्य योजनानुसार बने लगे। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकात्पलक आयासन प्राप्त होगा।

मीन नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आयासन प्राप्त होगा। अटके हुए कार्य बने लगे। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।